पक्षकार...कुलदीप विरूद्ध डेरहा

Witness No----01----for--- बचाव साक्ष्य Deposition taken on the --23-07-2022-----day of ..शनिवार... -Witness apparent age-42 year States on affirmation---शपथ पूर्वक---My name is– .डेरहा राम वर्मा Son of –स्व. श्री मुखीराम वर्मा--occupation. .....रेल्वे कर्मचारी.. Address – ..डब्ल्यू आर.एस. कालोनी, रायपुर (छ.ग.).

समय–01:10 बजे–

// मुख्यपरीक्षण द्वारा श्री साहेब लाल वर्मा, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त //

01. मैं और परिवादी कुलदीप कुमार साहू एक ही स्थान पर काम करते थे। जिसके कारण मैं परिवादी को जानता एवं पहचानता हूं। इसी कारण मैं अपने निजी कार्य हेतु परिवादी से 3,00,000/–रूपये (तीन लाख रूपये) उधार लिया था। जिसके एवज में परिवादी द्वारा मुझसे मेरे मूल बैक खाता, एटीएम, हस्ताक्षरित फोटो सहित 03 कोरे स्टांप और हस्ताक्षरित निरंक 04 चेक लिया था।

02. मेरे द्वारा परिवादी से लिये गये उधार की राशि को परिवादी द्वारा मेरे एटीएम से मेरे मासिक वेतन में से प्रतिमाह 10,000–20,000/– रूपये के मध्य निकालता था। परिवादी द्वारा मेरे मासिक वेतन में से वर्ष 2015 से वर्ष 2017 के मध्य प्रतिमाह 10,000/–रूपये से 20,000/–रूपये की राशि प्राप्त किया गया है, जो उधार की मूल राशि है। मेरे द्वारा परिवादी से लिये गये संपूर्ण राशि का भुगतान किये जाने के पश्चात परिवादी से अपने बैंक पासबुक, एटीएम, कोरे फोटो सहित स्टांप, और निरंक हस्ताक्षरित चेक को वापस मांगने पर परिवादी द्वारा अतिरिक्त राशि ब्याज के रूप में मांगने पर मेरे द्वारा अपनी असमर्थता जताने पर वापस करने से मना कर दिया। उसके पश्चात परिवादी द्वारा मेरे से सुरक्षार्थ प्राप्त चेक को अनादरित कराकर अपने अधिवक्ता के

` माध्यम से नोटिस प्रेषित किया गया। जिसका जवाब मेरे द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिया गया था, जो **(प्र.डी–1)** है एवं डाक पावती **(प्र.डी–2)** है।

03. उसके पश्चात मुझे माननीय न्यायालय द्वारा जारी सूचना प्राप्त होने पर न्यायालय में उपस्थित होने पर मुझे जानकारी प्राप्त हुआ कि परिवादी द्वारा मेरे से सुरक्षार्थ प्राप्त कोरे हस्ताक्षरित चेक और कोरे हस्ताक्षरित फोटो सहित स्टांप का दुरूपयोग करते हुए न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया था। परिवादी द्वारा न्यायालय के समक्ष मेरे बिना जानकारी के कोरे स्टांप का दुरूपयोग करते हुए दिनांक–25.04.2016 का इकरारनामा निष्पादित कराया गया है, जो 30 माह के लिए था और प्रस्तुत उक्त इकरारनामा में उधार की कुल राशि 4,00,000/–रूपये का उल्लेख किया गया है।

04. प्रकरण में परिवादी द्वारा प्रस्तुत धनादेश और निष्पादित इकरारनामा दिनांक–25.04.2016 को मेरे द्वारा किसी नोटरी के समक्ष निष्पादित नहीं कराया गया है और मेरे द्वारा अभियुक्त को किसी भी राशि की आंशिक अदायगी हेतु कोई भी धनादेश प्रदान नहीं किया गया है। बल्कि परिवादी द्वारा मेरे से प्राप्त दस्तावेजों का दुरूपयोग करते हुए अतिरिक्त राशि के लालच में निष्पादित कराया गया है।

05. परिवादी द्वारा बिना मेरे जानकारी के अन्य लाभ कमाने के उद्देश्य से मेरे निरंग धनादेश में राशि और दिनांक का इंद्राज कर अवैध वसुली करने की नियत से बैंक के समक्ष प्रस्तुत कर अनादरित कराकर परिवाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो विधि विरूद्ध है।

06. परिवादी के द्वारा मुझे जानकारी दिया गया कि उसके द्वारा दिनांक– 06.06.2017 को अन्य इकरारनामा 2,00,000/–रूपये का इंद्राज कर निष्पादन कराया गया है।

जिस पर मेरे द्वारा आपत्ति करने पर परिवादी द्वारा उक्त निष्पादित इकरारनामा को मुझे वापस कर दिया जो **(प्र.डी–3)** है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में संलग्न चेक और दिनांक के समय मेरे एक अन्य चेक क्रमांक 140047 राशि 2,00,000/–रूपये (दो लाख रूपये) दिनांक– 09.08.2018 को आहरित करने हेतु राशि और दिनांक का इंद्राज करते हुए तैयार किया गया था। जिस पर मुझे जानकारी होने पर मेरे आपत्ति करने पर उक्त चेक क्रमांक 140047 जो **(प्र.डी–4),** और बैंक जमा पावती दिनांक– 08.08.2018 **(प्र.डी–5)** है। परिवादी द्वारा मुझसे सुरक्षार्थ प्राप्त एक अन्य पोस्ट डेटेड चेक क्रमांक 140048 राशि 2,00,000/– रूपये को आहरित कर अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रेषित विधिक सूचना पत्र दिनांक– 17.06.2019 जो **(प्र.डी–6)** है।

07. मेरे द्वारा परिवादी से लिये गये उधार की राशि 3,00,000/–रूपये को परिवादी द्वारा मेरे एटीएम के माध्यम से मेरे सैलरी एकाउंट एस.बी.आई. खाता क्रमांक– 10443547295 से ए.टी.एम. के माध्यम से प्राप्त राशि के संबंध में बैंक द्वारा जारी एकाउंट स्टेटमेंट दिनांक– 01.01.2015 से 31.12.2015, दिनांक– 01.01.2016 से 31.12.2016 और 01.01.2017 से 31.12.2017 जो **(प्र.डी–7)** है।

08. परिवादी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण के सुनवाई के दौरान मेरे एक अन्य धनादेश क्र. 140048 राशि 2,00,000/–रूपये दिनांक–05.10.2018 का इंद्राज कर मेरे बिना मेरे जानकारी के अनादरित कराकर और कोरे फोटो सहित स्टांप पर 2,00,000/–रूपये इंद्राज सहित निष्पादित कर न्यायालय के समक्ष अन्य परिवाद प्रकरण क्रमांक 7091/2019 कुलदीप साहू विरूद्ध डेरहा राम वर्मा प्रस्तुत किया गया है। जिसकी सुनवाई दिनांक 03.09.2022 नियत है।

09. माननीय न्यायालय से निवेदन है कि परिवादी द्वारा मेरे दस्तावेजों को अपने पास उधार की राशि के एवज में अपने पास रखा था । उधार की राशि प्राप्त होने के पश्चात भी परिवादी द्वारा मेरे दस्तावेजो को वापस नहीं कर मेरे दस्तावेजों का दुरूपयोग करते हुए परिवाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो निराधार है जिसे निरस्त करने की कृपा करें।

टीप– इसी स्तर पर चायकाल का समय होने से बचाव साक्षी प्रतिपरीक्षण स्थगित किया गया।

वांचित/सत्य स्वीकृत

सही/–

(अनुप तिग्गा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर (छ0ग0)

मेरे निर्देश पर टंकित

सही/–

(अनुप तिग्गा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर (छ0ग0)

प्रमाण पत्र

मैं पुष्टि करती हूं कि इस पी.डी.एफ. फाईल की अंतर्वस्तु अक्षरशः वैसी ही है जो मूल आदेश/निर्णय/कथन में टंकित की गई है।

साक्ष्य लेखक का नामः– श्रीमती करूणा हंसा

समय 04:00 बजे

टीप– परिवादी की ओर से समय 04:00 बजे तक कोई प्रतिपरीक्षण हेतु उपस्थित नहीं। न्यायहित में एक अवसर परिवादी को प्रतिपरीक्षण हेतु प्रदान किया गया। प्रतिपरीक्षण स्थगित किया गया।

वांचित/सत्य स्वीकृत

सही/–

(अनुप तिग्गा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

मेरे निर्देश पर टंकित

सही/–

(अनुप तिग्गा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

रायपुर (छ0ग0) रायपुर (छ0ग0)

प्रमाण पत्र

मैं पुष्टि करती हूं कि इस पी.डी.एफ. फाईल की अंतर्वस्तु अक्षरशः वैसी ही है जो मूल आदेश/निर्णय/कथन में टंकित की गई है।

साक्ष्य लेखक का नामः— श्रीमती करूणा हंसा